

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: ज.वि.प्रा./अति.मु.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2025/डी-348

दिनांक:- 19/2/2025

## —:कार्यवाही विवरण:—

बेटरमेन्ट लेवी की राशि हेतु प्रस्तुत पोस्ट डेटेड चैक के अनादरित होने के फलस्वरूप जविप्रा को हो रही राजस्व हानि के संबंध में दिनांक 07.02.2025 को निदेशक (नगर आयोजना) की अध्यक्षता में संबंधित विकासकर्ताओं से चर्चा हेतु दोपहर 12.30 बजे 'मंथन कक्ष' में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्न गणमान्य/अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. निदेशक (वित्त), जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जविप्रा, जयपुर।
3. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जविप्रा, जयपुर।
4. सहायक लेखाधिकारी, बीपीसी-बीपी, जविप्रा, जयपुर।
5. अधिकृत प्रतिनिधि, मोजिका रियल स्टेट।
6. अधिकृत प्रतिनिधि, समन्वय बिल्डमार्ट।
7. अधिकृत प्रतिनिधि, एस.एस.बी.सी. ग्रुप श्री श्याम लाल यादव

निदेशक (वित्त), जविप्रा द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि आज दिनांक तक कुल 64 प्रकरणों में बेटरमेन्ट लेवी की राशि के चैक अनादरित हुये हैं। सहायक लेखाधिकारी, बीपीसी-बीपी, जविप्रा द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि उक्त प्रकरणों में से 30 प्रकरणों में वांछित राशि जमा करवाई जा चुकी है एवं कई प्रकरण अनेक बार उल्लेखित हैं। अतः वर्तमान में केवल 18 विकासकर्ताओं के स्तर पर राशि जमा करवाई जानी शेष है।

सहायक लेखाधिकारी, बीपीसी-बीपी, जविप्रा द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार पोस्ट डेटेड चैक बेटरमेन्ट लेवी की राशि हेतु प्रस्तुत अनादरित पोस्ट डेटेड चैक से संबंधित प्रकरणों के विकासकर्ताओं की सूची निम्नानुसार है:-

1. श्री विभिषेक सिंह, पार्टनर, मैसर्स डेजी डवलपर्स।
2. श्री योगेश धानुका, बहैसियत निदेशक, मैसर्स धानुका रियल्टी लि., द सोलिटियर।
3. श्री ओमप्रकाश डंगायच, निदेशक, फॉर ओमप्रकाश स्टोक ब्रोकरर्स प्रा.लि.।
4. श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल एवं श्री नागरमल अग्रवाल, निदेशक, मोजिका रियल एस्टेट एण्ड डवलपर्स प्रा. लि.।
5. श्री राजकुमार जाट, निदेशक, उदय रेजीडेन्सी प्रा.लि.।
6. श्री स्वप्लिन स्वामी, निदेशक, मैसर्स बासकोवाला मिनरल्स प्रा.लि.।
7. अधिकृत निदेशक, समन्वय बिल्डहोम प्रा. लि.।
8. श्री निर्मल कुमार केडिया, केडिया रियल स्टेट (एल.एल.पी.)।
9. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मैसर्स एस.एस.डी. बिल्डटेक।
10. श्री कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा, जरिये पंजीकृत मुख्त्यारआम, क्षीर डवलपर्स एल.एल.पी.।
11. श्री श्याम लाल यादव पुत्र श्री भोहरी लाल यादव।
12. मैसर्स पर्ल प्रेमिसेज एल.एल.पी.।
13. नेचर होम बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स, निदेशक, श्री राकेश जुनेजा।
14. श्रीमती शोभा कटवानी पत्नी श्री उत्तम चन्द।
15. श्री विनय चौरडिया, निदेशक, मैसर्स चौरडिया बिल्डकॉन प्रा.लि.।
16. श्री अमित कोटेचा अधिकृत साझेदार रिद्धि-सिद्धि प्राईम रियल्टी एल.एल.पी.।
17. श्री सुभाष अग्रवाल, निदेशक, गोविन्द कृपा इन्फ्राटेक प्रा. लि.।
18. मैसर्स सन्तुष्टि हाउसिंग एल.एल.पी., जरिये अधिकृत साझेदार, श्री श्याम लाल यादव।

Signature valid

Digitally signed by Vinay Kumar

Dalela

Designation : Director

Date: 2025.02.19 10:14:44 IST

Reason: Approved



उपरोक्त सूची अनुसार पोस्ट डेटेड चैक अनादरित होने के फलस्वरूप जविप्रा को हो रही राजस्व हानि के संबंध में विचार विमर्श किया गया निम्न निर्णय लिये गये:-

1. अनादरित चैक से संबंधित विकासकर्ताओं को मूल चैक राशि मय व्याज जमा करने हेतु अन्तिम बार पत्र प्रेषित कर 07 दिवस में बकाया राशि जमा करवाने बाबत सूचित किया जावे। 07 दिवस पश्चात राशि जमा नहीं कराने पर विकासकर्ता के प्रोजेक्ट के मानचित्र निरस्त कर, भूखण्ड को सीज करने की कार्यवाही अमल में लाई जावे एवं विकासकर्ता को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में ब्लैक लिस्ट किया जावे।

अनादरित चैक से संबंधित विकासकर्ताओं की सूची का दो समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया जावे एवं जविप्रा की वेबसाईट पर भी अपलोड किया जावे।

2. उक्त विकासकर्ताओं की किसी भी परियोजना के प्रकरणों का अनुमोदन/स्वीकृति/90ए की स्वीकृति बीपीसी-बीपी शाखा, बीपीसी-एलपी शाखा व जोन स्तर से प्रकरण में तब तक कार्यवाही नहीं की जावे, जब तक विकासकर्ता द्वारा अन्य प्रोजेक्ट के पेटे समस्त बकाया राशि जमा न करा दी गई हो।

3. यदि कोई विकासकर्ता किसी फर्म/एल.एल.पी. में साझेदार/जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त है एवं उक्त विकासकर्ता के नाम से किसी भी परियोजना के पेटे कोई राशि बकाया हो तो नवीन परियोजना का अनुमोदन नहीं किया जावे, सर्वप्रथम बकाया राशि जमा करवाई जावे।

उक्त प्रस्तावों का अनुमोदन आयुक्त, जविप्रा, जयपुर से प्राप्त कर सचिव, जविप्रा, जयपुर के स्तर से आदेश जारी किये जावेंगे।

निदेशक (नगर आयोजना)  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (वित्त), जविप्रा, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, भवन मानचित्र समिति (बी.पी.), जविप्रा, जयपुर।
6. समस्त उपायुक्त जोन, जविप्रा, जयपुर।
7. संबंधित विकासकर्ता .....
8. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Vinay Kumar  
Dalela  
Designation : Director  
Date: 2025.02.19 10:14:44 IST  
Reason: Approved